

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 27.09.2022

उपस्थिति

1. अपीलांत की तरफ से अधिवक्ता श्री दुंगरसिंह महेचा
2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्णोई

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांत ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमर्तों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोंडेंटस के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोंडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अपीलांत को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांत के कब्जे काशत में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांतगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांत के पक्ष में है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जावे। रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांतगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से अपीलांत को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है। अतः अपीलांतगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांटगण के कब्जा काश्त में रेस्पोंडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा उभयपक्ष को पाबंद किया जाकर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 27.09.2022 को सुनाया गया।

J. Arin
(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बाड़मेर